राजस्व वाद 10/17
पन्नालाल बनाम गोविंदराम

19-11-19

अधिवक्ता उपस्थित
आज साहब ए०ए०सी० सिरोही के चुनाव 2019
के सम्बन्ध में व्यस्त है
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
10-1-20 को पेश हो।

30-12-19

पत्रावली में आने पर पेश हुई। वकील श्री कृष्ण माथुर ने वादीगण की ओर से हाजिर होकर विचारण इस वाद को पुनः प्रस्तुत करने का Right Reserve रखते हुये इस वाद को विड्रो किया है अतः विचारण यह वाद वादी को पुनः नये सिरे वाद प्रस्तुत करने का Right Reserve रखते हुये यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण वादी द्वारा विड्रो करने से निस्तारण के योग्य नहीं होने से जमीन के विड्रो खारिज किया जाने के निर्णय से सदर इजलास सुनाया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना वाद विड्रो रद्द किया गया। वादी को नया वाद नये तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

पुनः प्रस्तुत करने का Right Reserve रखते हुए उक्त वाद withdraw करता हूँ
Rishi Mathur
30/12/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.31 17:17:58 IST
Reason: SelfAttested